UPAG010034512024

न्यायालय– विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट), आगरा।

सेशन केस नं0 562/2024

बदन सिंह बनाम ग्या प्रसाद शर्मा आदि।

धारा–452, 323, 504, 506, 427 भा0 द0सं0 व 3(1)ध एस.सी./एस.टी.एक्ट
थाना–फतेहपुर सीकरी, आगरा

दिनांक 01.10.2025

1– पत्रावली आज उन्मोचन प्रार्थनापत्र पर आदेश हेतु नियत है। प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को विगत तिथि पर सुना जा चुका है।

निस्तारण उन्मोचन प्रार्थना पत्र 6ख अन्तर्गत धारा 227 द0प्र0सं0

2– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ग्या प्रसाद शर्मा, विश्नू शर्मा, भूपेन्द्र शर्मा व महेन्द्र शर्मा द्वारा उपरोक्त उन्मोचन प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगणों को उपरोक्त मुकदमे में झूठा फंसा दिया है, जबकि अभियुक्तगणों द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है, वह पूर्णतः निर्दोष हैं। उपरोक्त मुकदमा परिवाद के रूप में संस्थित है तथा उपरोक्त परिवाद के परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र एवं बयान–200 द0प्र0सं0 एवं गवाहान नत्थी शर्मा एवं विजय सिंह के अंतर्गत धारा–202 द0प्र0सं0 के बयान आपस में मेलजोल नहीं खाते हैं एवं धारा 156(3) द0प्र0सं0 में आयी रिपोर्ट में वाकया पाया गया कि परिवादी बदन सिंह व उसके पुत्र सोनवीर के विरूद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0–324/2022 अन्तर्गत धारा–323, 325, 504, 506 भा0द0सं0 में मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसमें विवेचना प्रचलित है। परिवादी द्वारा अपने बचाव के लिए धारा–156(3)/परिवाद पत्र झूठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर बढ़ा–चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। जिससे उपरोक्त मुकदमे की घटना अपने आपमें संदेहात्मक रूप को दर्शाता है। परिवादी द्वारा परिवादपत्र में स्वयं एवं अपने पुत्र सोनवीर के साथ तथाकथित घटना होने का अभिकथन किया गया है, किन्तु परिवादी द्वारा अपने पुत्र सोनवीर को गवाहान सूची में न तो गवाह बनाया है और न ही उसे न्यायालय में परीक्षित कराया है और घटना के संबंध में कोई भी उपचार हेतु एवं मेडिकल के सम्बन्ध में कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है। परिवादी एवं उसके पुत्र सोनवीर द्वारा विश्नूकान्त के साथ दिनांक 08.11.2022 को गम्भीर चोट पहुँचाईं, जिसके सम्बन्ध में परिवादी एवं उसके पुत्र सोनवीर के विरूद्ध

मु0अ0सं0–324/2022 अन्तर्गत धारा–323, 325, 504, 506 दर्ज किया गया एवं मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें विश्नूकान्त के आयी गम्भीर चोटों में फ्रैक्चर पाया गया जिसमें बाद विवेचना परिवादी व उसके पुत्र के विरूद्ध आरोप पत्र सं0–274/2022 दिनांक 08.12.2022 को प्रेषित किया गया तथा अवर न्यायालय कक्ष सं0–7 द्वारा आरोप तय करने के उपरान्त तीन गवाहान भूपेन्द्र, राकेश लवानिया और विश्नूकान्त का बयान अंकित हो चुका है। इस मुकदमें से बचने के लिए झूठी घटना का सहारा लेकर इस मुकदमे की झूठी घटना का कृत्य किया गया है। अभियुक्तगण व उसके परिजन प्रारम्भ से ही गांव में सम्मानित व्यक्ति रहे हैं जिस कारण गांव के कार्यों में पूर्ण सहयोग करते रहे। गांव के नाते प्रारम्भ से ही अभियुक्तगणों के परिजनों से रंजिश मानता था। जिस कारण रामबाबू पुत्र शंकरलाल ने अभियुक्त भूपेन्द्र शर्मा के पिता ग्या प्रसाद के विरूद्ध झूठा मुकदमा सं0–38/2006 अन्तर्गत धारा–323, 427, 452, 504, 506 भा0द0सं0 पंजीकृत किया गया था जिसमें दिनांक 28.03.2011को न्यायालय द्वारा ग्या प्रसाद को दोषमुक्त कर दिया गया। जिस कारण रामबाबू किसी भी तरह से अभियुक्तगणों व उसके परिजनों को फंसाने का कुचक्र रचता रहा और मौके की तलाश में रहता कि किसी तरह अभियुक्त व उसके परिजनों को मुकदमों में फंसा सके। खेड़ा बाकन्दा में गाटा सं0–120 रकवा 0.1150 हे0 में बंजर के रूप में भूमि दर्ज हो गयी है। इसमें पहले ग्राम खेडा बाकन्दा में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बन्दोबस्त आकार पत्र 41 व आकार पत्र 45 में गाटा सं0–231 रकवा 0.1150 जो कि स्कूल के लिए भूमि आवंटित की गयी थी, जिसकी नई गाटा सं0–120, 0.1150 है। इस भूमि की मेरे पिता ने उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ स्कूल के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। उक्त विपक्षीगणों ने सांठ–गांठ द्वारा नत्थीलाल व रामभरोसी पुत्रगण ज्योति द्वारा कब्जा किया गया जिसमें वर्तमान प्रधान बदन सिंह पुत्र गंगाराम द्वारा एक शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त विपक्षी एक–दूसरे के सहयोग से मुकदमा वादी व उपरोक्त मुकदमे के गवाह आपस में सांठ–गांठ कर मुकदमों में अभियुक्तगणों के विरूद्ध झूठी गवाही देते रहते हैं। अभियुक्त ग्या प्रसाद वर्ष 2015 से 2020 तक ग्राम पंचायत खेड़ा बाकन्दा के प्रधान रहे। अभियुक्त ग्या प्रसाद ने साहब सिंह पुत्र बाबूलाल, पहुप सिंह, नेकराम, रामविलास पुत्र बाबूलाल व विजय सिंह, मानसिंह पुत्रगण रामखिलाड़ी अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, किरावली आगरा के समक्ष दिनांक 27.06.2018 दी गयी थी तथा दिनांक 16.12.2020 को प्रार्थी/अभियुक्त भूपेन्द्र के पिता ग्या प्रसाद द्वारा उपजिलाधिकारी, तहसील किरावली, आगरा को बनै सिंह पुत्र बूचाराम, संतोष पुत्र भजनलाल, बदन सिंह पुत्र गंगाराम, महेश पुत्र बांकेलाल, इन्द पुत्र बूचा व अन्य लोग, नत्थी पुत्र ज्योति, देवेन्द्र पुत्र राधावल्लभ, विजय सिंह पुत्र रामखिलाड़ी, रामप्रवेश पुत्र साहब सिंह आदि के खिलाफ थाना निरीक्षक फतेहपुर सीकरी को शिकायती पत्र दिनांक 16.12.2020 को दिया था। इसी क्रम में अभियुक्त ग्या प्रसाद व ग्राम के सम्मानित व्यक्तियों ने दिनांक 18.02.2022 को पंचायत घर को प्रधान

बदन सिंह द्वारा पंचायत घर हेतु आवंटित जमीन पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में शिकायती पत्र उपजिलाधिकारी किरावली के समक्ष दिया था। तब जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच उपरान्त बदन सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके उपरान्त जिलाधिकारी महोदय द्वारा उक्त पंचायत घर की निर्माण धनराशि ग्राम पंचायत से वापस करा दी गयी थी। जिस कारण बदन सिंह ने रंजिशन अभियुक्त के साथ गम्भीर घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। जिसके सम्बन्ध में बदन सिंह के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जिसके उपरान्त नत्थी पुत्र ज्योति द्वारा स्कूल की जमीन को घेरा गया, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा नत्थी के विरूद्ध शिकायत की गयी थी। जिससे नत्थी भी अभियुक्त से रंजिश मानने लगा और रामबाबू के साथ जा मिला तथा अभियुक्त द्वारा विजय सिंह द्वारा शमशान भूमि के आगे का रास्ता रोकने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी थी। जिस कारणवश विजय सिंह भी रंजिश मानने लगा। जिस कारण विजय सिंह भी रामबाबू तथा नत्थी के साथ जा मिला। इसके उपरान्त बदन सिंह, नत्थी, विजय सिंह एवं रामबाबू द्वारा कई बार अभियुक्त व उसके परिजनों के साथ गम्भीर आपराधिक घटनाक्रमों को अंजाम दिया गया। जिसके सम्बन्ध में बदन सिंह, विजय सिंह, नत्थी के विरूद्ध मुकदमे पंजीकृत हुए थे, इस कारण उपरोक्त लोग आपसी मिली भगत व सांठगांठ कर, कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग कर अभियुक्तगणों के विरूद्ध निरन्तर मुकदमे पंजीकृत करवाने लगे एवं गवाही देने लगे। जिसके परिणाम स्वरूप उपरोक्त मुकदमा अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज हुआ है, जबकि अभियुक्तगणों द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा लाल सिंह की जमीन के सम्बन्ध में जो अभिकथन अपने बयान–200 द0प्र0सं0 में किया है, उसके सम्बन्ध में लाल सिंह द्वारा स्वयं शपथपत्र देकर उक्त कथनों के सम्बन्ध में सही कथनों से अवगत कराया गया है। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। उपरोक्त मुकदमे के अभियुक्तगणों के विरूद्ध मु0अ0सं0–408/2018, थाना फतेहपुर सीकरी, आगरा, अन्तर्गत धारा–147, 323, 504, 506 भा0द0सं0 जो कि न्यायालय में विचाराधीन है एवं अभियुक्त ग्या प्रसाद शर्मा के विरूद्ध मु0अ0सं0–76/2023 धारा–323, 354, 452, 504, 506 भा0द0सं0, थाना किरावली, आगरा में मुकदमे को समाप्त कर अंतिम आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है एवं मुकदमा सं0–38/2006 अन्तर्गत धारा–323, 427, 452, 504, 506 भा0द0सं0 पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में दिनांक 28.03.2011 को न्यायालय द्वारा ग्या प्रसाद शर्मा को दोषमुक्त कर दिया गया। वादी द्वारा आपराधिक षड़यंत्र के तहत पुरानी रंजिश के चलते उपरोक्त मुकदमे में फंसा दिया गया है। वादी द्वारा प्रार्थीगणों पर कई आपराधिक मुकदमें योजित किये गये थे, परन्तु मुकदमा वादी प्रार्थीगणों को मुकदमे में फंसाने हेतु पूरी तरह असमर्थ रहे थे, जिस कारण उपरोक्त मुकदमा अभियुक्तगणों के विरूद्ध योजित किया गया है। उपरोक्त मुकदमे में बदन सिंह दर्शा रहा है कि ग्या प्रसाद ने लाल सिंह से खेत–पट्टे पर लिया है, उसकी मेढ़ काट रहे थे जब बदन सिंह ने रोका तो अभियुक्त ने

बदन सिंह के साथ घटना उक्त मुकदमे की, जबकि अभियुक्त द्वारा कोई खेत पट्टे पर नहीं लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में लाल सिंह द्वारा दिया गया शपथपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी क्रम में रामबाबू द्वारा षड़यंत्र के तहत कानून का दुरूपयोग कर अपनी पुत्री डिम्पल का उपयोग कर फर्जी घटनाक्रम पर आधारित मु0अ0सं0–76/2023 अन्तर्गत धारा–323, 354, 452, 504, 506 भा0द0सं0 दर्ज करवाया। उक्त मुकदमे में विवेचना अधिकारी ने झूठी घटना पाते हुए अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज किया गया। उक्त मुकदमे में गवाह के रूप में बदन सिंह पुत्र गंगाराम, विजय सिंह पुत्र रामखिलाड़ी, नत्थी पुत्र ज्योति निवासीगण खेड़ा बाकन्दा द्वारा षड़यंत्र के तहत प्रार्थी/अभिक्तगणों के विरूद्ध गवाह बनकर गवाही दी गयी थी। उक्त मुकदमे में असफलता मिलने के कारण मुकदमा वादी ने अन्य सहयोगियों द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध घटना को अंजाम दिया गया। जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 17.05.2018 को विजय सिंह पुत्र रामखिलाड़ी के विरूद्ध एफ.आई. आर. सं0–0123/2018 थाना अछनेरा में पंजीकृत हुई थी। एफ.आई.आर. सं0– 407/2018 थाना फतेहपुरसीकरी, आगरा में अभियुक्त ने रमाशंकर दत्तक पुत्र विजय सिंह व मानसिंह और नरायण सिंह पुत्रगण रामखिलाड़ी, ब्रजवासी पुत्र मानसिंह, रामविलास व नेकराम पुत्रगण बाबूलाल, रामप्रवेश, साहब सिंह के खिलाफ धारा–147, 323, 352, 506, 325 भा0द0सं0 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा वादी द्वारा की गयी एक और घटना के सम्बन्ध में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुकदमा सं0–324/2022 थाना फतेहपुर सीकरी में मुकदमा पंजीकृत हुआ था तथा उक्त मुकदमे में बदन सिंह और सोनवीर उर्फ सोनू पुत्र बदन सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 325 न्यायालय में प्रेषित हो चुका है जो विचाराधीन है। अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के तहत कोई अपराध नही बनता है। अतएव उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अपराध घ ाटित न होने के कारण अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी।

3– वादी मुकदमा द्वारा उन्मोचन प्रार्थनापत्र के विरूद्ध जवाब/आपत्ति 7ख दिनांकित 08.08.2025 दाखिल करते हुए उन्मोचन प्रार्थनापत्र के में वर्णित कथनों को गलत व असत्य होने का कथन करते हुए उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी। अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि अभियुक्तगण का उपरोक्त प्रार्थना पत्र गलत एवं असत्य तथ्यों पर आधारित है। प्रस्तुत मामले में न्यायालय द्वारा परिवादी की साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 व 202 द0प्र0सं0 के आधार पर अभियुक्तगण को विचारण हेतु तलब किया गया है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पारित तलबी आदेश दिनांकित 06.03.2024 के उपरान्त पत्रावली पर ऐसा कोई नया तथ्य या आधार नही आया है जिसके आधार पर अभियुक्तगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किए

जाने योग्य हो। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप विरचित किए जाने हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः अभियुक्तगण के द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

4– मैंने पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

5– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी रामसनेही द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया जिसे तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 16.05.2023 को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया। परिवादपत्र के अनुसार परिवादी का संक्षेप में कथन है कि प्रार्थी वर्तमान में ग्राम प्रधान है। पूर्व प्रधान ग्या प्रसाद शर्मा चुनाव हारने के कारण प्रार्थी व उसके परिवार से रंजिश रखता है और कई बार मॉ बहिन की गंदी गंदी गालियॉ व जाति सूचक शब्द ढेड़ चमार कहकर भरे गॉव में अपमानित कर चुका है। दिनांक 08.11.2022 को समय करीब 10:30 बजे षडयन्त्र रचते हुए अचानक ग्या प्रसाद शर्मा, विश्नू शर्मा, भूपेन्द्र शर्मा, महेन्द्र शर्मा हाथों में लाठी डण्डे व फावड़ा लेकर प्रार्थी के खेत में आ धमके और जबरन उसके खेत की जमीन में से मेड़ बनाने लगे। मेरे व मेरे लड़के सोनवीर सिंह के विरोध करने पर इन सभी लोगों ने हम दोनों पर जान से मारने की नीयत से जानलेवा हमला कर दिया और मारपीट कर दी हम किसी तरह अपनी जान बचाकर घर की तरफ भागे। उपरोक्त सभी लोग हाथों में लाठी, डन्डे, सरिया और असलहा लेकर जबरन मेरे घर के दरवाजे पर लात मारकर घर में घुस आए और मुझे जाति सूचक शब्द ढेड़ चमार कहकर सम्बोधन करते हुए अपमानित करने लगे। मेरे लड़के सोनवीर को ग्या प्रसाद शर्मा व महेन्द्र शर्मा ने लाठी डण्डों से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया और बाकी लोगों ने मेरे घर का सामान तोड़ फोड़ कर दिया। गॉव में नत्थीलाल शर्मा, विजय सिंह बघेल, निहाल सिंह, महेश, परसोती बघेल, इन लोगों ने मुझे व मेरे लड़के को बचाया, फिर भी उपरोक्त लोग जाति सूचक गालियॉ देते हुए मुझे व मेरे लड़के को जान से मारने की धमकी देने लगे। घायल अवस्था में प्रार्थी अपने पुत्र सोनवीर को थाना फतेहपुर सीकरी लेकर गया तो पुलिस ने मेरे लड़के को थाने में बन्द कर दिया और राजीनामा करने का दबाव डालने लगे। उपरोक्त सभी लोग पूर्व प्रधान होने के कारण गांव में गुण्डई व दबंगई करते हैं। मुझे व मेरे परिवार को उपरोक्त लोगों से जान का खतरा बना हुआ है। प्रार्थी थाने पर रिपोर्ट करने गया, परन्तु उसकी रिपोर्ट दर्ज नही की गयी। दिनांक 10.11.2022 कको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा व अन्य उच्चाधिकारियों, एस.सी.एस.टी. आयोग नई दिल्ली को ईमेल व पंजीकृत डाक द्वारा प्रार्थनापत्र प्रेषित किया, किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नही हुई।

6– तत्कालीन विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट), आगरा द्वारा परिवादी की साक्ष्य अंतर्गत धारा 200 द0प्र0सं0 व 202 द0प्र0सं0 के आधार पर दिनांक 06.03.2024 को अभियुक्तगण गया प्रसाद शर्मा, विश्नू शर्मा, भूपेन्द्र शर्मा व महेन्द्र शर्मा को धारा 452, 323,

504, 506, 427 भा0द0सं0 व 3(1) ध एस.सी./एस.टी. एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किया गया।

7– अभियुक्तगण द्वारा उन्मोचन प्रार्थनापत्र में किए गए तथ्यों से यह विदित होता है कि उक्त तथ्य साक्ष्य का विषय हैं, जिनके संबंध में निष्कर्ष न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर ही दिया जा सकता है, बिना पत्रावली पर मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य आये उक्त बिन्दुओं/तथ्यों के संबंध में इस स्तर पर कोई निष्कर्ष दिया जाना सम्भव नहीं है।

8– **दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 227** में निम्नलिखित उपबन्ध किया गया है–" यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर, और इस निमित्त अभियुक्तगण और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात् न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्तगण को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।

" माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था– **State v. J. Doraiswamy Etc., AIR Online 2019 SC 480 SUPREME COURT** के पैरा–16 में निम्नवत सम्प्रेक्षित किया गया है :– While considering the case of discharge sought immediately after the chargesheet is filed, the Court cannot become an Appellate Court and start appreciating the evidence by finding out inconsistency in the statements of the witnesses as was done by the High Court in the impugned order running in 19 pages. It is not legally permissible. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सज्जन कुमार बनाम सी0बी0आई0 (2010) 9 एस0सी0सी0–368** यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि :–" At the stage of framing of charge under section 228 Cr.P.C. of while considering the discharge petition filed under section 227, it is not for the Magistrate or the judge concerned to analyse all the materials including pros and cons, reliability or acceptability, etc. It is at the trial, the judge concerned has to appreciate their evidentiary value, credibility or otherwise of the statement, veracity of various documents and is free to take a decision one way or the other." इसी संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सी0बी0आई0 बनाम नरायन दास 2012 सी0आर0–एल0जे0 2610 (एस0सी0)** तथा **बिहार राज्य बनाम रमेशसिंह (1979)4 ए0सी0सी0 39** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि आरोप गठन के प्रक्रम पर अभियुक्तगण की संभाव्य प्रतिरक्षा को भी विचार दिये जाने की आवश्यकता नहीं होती है। विचारण के इस प्रक्रम पर न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि न्यायालय इस पर विस्तार से विचार करे और संवेदनशील संतुलन के अनुरूप यह तौले कि तथ्य यदि साबित

हो गये तो क्या अभियुक्तगण की निर्दोषिता के विरूद्ध जायेंगे। आरोप गठन के इस प्रक्रम पर न्यायालय को यह नहीं देखना है कि क्या अभियुक्तगण की दोषसिद्धि के पर्याप्त आधार है अथवा नहीं ? आरोप विरचित करने के लिए न्यायालय को इस प्रक्रम पर अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गये साक्ष्य की सच्चाई और विश्वसनीयता की सूक्ष्मता से जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्तगण को अन्तिम रूप से दोषी ठहराने से पूर्व लागू की जाने वाली कसौटी या सबूत का आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर लागू नहीं किया जा सकता है।

9– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित करने हेतु न्यायालय को मात्र पत्रावली पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य पर ही विचार किया जाना है, जबकि अभियुक्तगण द्वारा अपने उन्मोचन प्रार्थनापत्र में जिन तथ्यों का आधार लिया गया है, वे साक्ष्य का विषय हैं जिनका निस्तारण उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य के आधार पर किया जाना न्यायसंगत होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण को तलब किए जाने के उपरान्त पत्रावली पर कोई अतिरिक्त साक्ष्य नही आया है।

10– अतएव उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण एवं उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय के विचार में पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है। पत्रावली के अवलोकन से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है, जिससे इस स्तर पर अभियुक्तगणा के विरूद्ध आरोप निराधार प्रतीत होते हों। अभियुक्तगण की ओर से अपना पक्ष/साक्ष्य विचारण के दौरान प्रतिरक्षा के अवसर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत उन्मोचन, निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र 6ख निरस्त किया जाता है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति तदानुसार निस्तारित की जाती हैं।

पत्रावली वास्ते आरोप अभियुक्तगण दिनांक 15.10.2025 को पेश हो। अभियुक्तगण नियत दिनांक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

दिनांक 01.10.2025 ह0

(पुष्कर उपाध्याय)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, आगरा।
आई0डी0 नं0–यूपी–6086

Digitally signed by PUSHKAR UPADHYAY
Date: 2025.10.01 14:26:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court